Regarding development of disabled-friendly infrastructure in every railway station of the country-laid

डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर): हमारी सरकार की विचारधारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकिन यह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हमारे दिव्यांग भाइयों और बहनों को disabled friendly infrastructure मिलेगा । सरकार ने सुगम भारत अभियान और Rights of Persons with Disability Act 2016 के माध्यम से दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रयास किये है लेकिन आज पूरे देश में 7000 से अधिक रेलवे स्टेशन में से 80 से 90 प्रतिशत स्टेशन में disabled friendly infrastructure जैसे lift का अभाव है जो 2016 के एक्ट और disability convention में हमारे obligations का उल्लंघन है । इसके कारण प्रतिदिन हमारे दिव्यांग भाई बहन रेलवे का सफर करने में असमर्थ होते है क्योंकि न रैम्पस होते है न लिफ्ट और उसके अतिरिक्त उनको सहायता करने के लिए रेलवे का कोई कर्मचारी भी उपस्थित नहीं होता और यह 2016 के कानून की धारा 45 का भी उल्लंघन है । मेरा सरकार से निवेदन है कि अमृत भारत योजना दिशानिर्देशों में संशोधन करके disabled friendly infrastructure का प्रावधान किया जाए और station redevelopment के माध्यम से अगले एक वर्ष के अंदर देश के सभी रेलवे स्टेशन को disabled friendly बनाए जाने हेतु कार्यवाही की जाए ।